न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 122/2018

–: वादी :–	बनाम	–: प्रतिवादी :–
1. सुराराम पुत्र रतनाराम जाति–कुमावत, निवासी–धनेरिया तहसील–जैतारण, जिला–पाली		1. तहसीलदार, जैतारण तहसील–जैतारण,जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 LR Act. **तारीख रजू:.18/05/2018**

उपस्थितः– 1. श्री किशोर कुमावत, अधिवक्ता, वादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 21/05/2018**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 LR Act. के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा–धनेरिया, पटवार हल्का–केकिन्दड़ा, तहसील–जैतारण में वादी व अन्य खातेदारों की शामलाति खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 78 रकबा 0–05 बीघा, खसरा नम्बर 280 रकबा 3–06 बीघा, खसरा नम्बर 282 रकबा 3–10 बीघा, खसरा नम्बर 283 रकबा 2–00 बीघा, खसरा नम्बर 284 रकबा 17–00 बीघा, कुल खसरा 5 कुल रकबा 26–01 बीघा की आई हुई है। नकल जमाबंदी वादपत्र के साथ पेश है। जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी का माफिक हिस्से अनुसार कब्जा काश्त चला व काश्त है एवं इसी हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर के काश्त करते चला आ रहा है, उक्त आराजी में वादी का नाम पप्पू पुत्र रतनाराम चला आ रहा है। जबकि वादी का सही नाम सूराराम ही है, इस प्रकार सरकारी दस्तावेजात आधारकार्ड एवं परिचय पत्र में भी वादी का सही नाम सूराराम ही दर्ज है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में तत्कालीन आर आई पटवारी ने वादी सूराराम का नाम इन्द्राज पप्पु कर दिया है जो एक रोंग एन्ट्री की तारीफ में आता है जबकि वादी का सही नाम सूराराम है जो वादपत्र के साथ प्रस्तुत सरकारी दस्तावेजात से प्रमाणित है। जिसको दुरूस्त कराने बाबत् यह वादपत्र घोषणा व दुरूस्ती का श्रीमान् के समक्ष पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी का नाम पप्पू का इन्द्राज है, जिससे वादी को अनेकों प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है क्योकि उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी का अलग नाम होने से बैंक से ऋण, कनेक्शन लेने एवं अन्य सभी सरकारी योजनाओं का फायदा लेने में वादी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वादी का राजस्व रेकर्ड में नाम पप्पू के स्थान पर सूराराम दुरूस्त करने हेतु यह वादपत्र घोषणा एवं दुरूस्ती का विरूद्ध प्रतिवादी के श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। वादी के अन्य सरकारी दस्तावेजात में सही नाम इन्द्राज चले आ रहे है परन्तु राजस्व रेकर्ड में नाम बाबुलाल इन्द्राज हो जाने की वजह से अनेकों प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वादी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

के पास अन्य कोई लिखित विकल्प शेष नही रहने से दिनांक 10/05/2018 को प्रतिवादी को एक लिखित में प्रार्थना पत्र जमाबंदी में नमा के सही व दुरूस्त कराने का प्रस्तुत किया जिस पर प्रतिवादी ने इन्कार कर दिया एवं समक्ष न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करने का कहा, तब वादी का यह वादपत्र अपने नाम की दुरूस्ती कराने की घोषणा कराने बाबत् बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी के पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी के अलावा अन्य सहहिस्सेदार व खातेदार है परन्तु उनको पक्षकार नहीं बनाया गया हैं। क्योकि वादी को इनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा है एवं न ही अन्य सहखातेदारों के वादी के इस वादपत्र से कोई हिस्से की प्रभावित हो रहे है एवं वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने से मना करने से आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार होने से उनको बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। बिनाय वाद दिनांक 10/05/2018 को वादी द्वारा राजस्व रेकर्ड में अपना नाम सही नाम दर्ज कराने हेतु प्रतिवादी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिवादी द्वारा स्पष्ट रूप से इन्कार होने पर बमुकाम धनेरिया जैतारण में पैदा हुआ है, जो अन्दर म्याद व श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

इस प्रकार वाद-पत्र मय शपथ-पत्र पेश कर माफिक दावा वाद स्वीकार किये जाने तथा वादी का उक्त राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज पपू के स्थान पर वास्तविक नाम सूराराम पुत्र रतनाराम दुरूस्त दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-केकिन्दड़ा में पेश हुई। तहसीलदार जैतारण / पटवारी हल्का ने मजमा-ए-आम में फर्द मौका रिपोर्ट बनाकर पेश की, सा0मि0 की गई। फर्द मौका रिपोर्ट में जाहिर किया कि मौतबिरान लोगों ने बताया कि सूराराम को ही बचपन में पपू के नाम से जाना जाता था। अतः राजस्व रेकर्ड में पपू दर्ज हो गया। पपू व सूराराम एक ही व्यक्ति हैं। रतनाराम के पपू नाम की अन्य कोई सन्तान नहीं हैं। साक्ष्य दस्तावेज, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, में भी सूराराम पुत्र रतनाराम दर्ज हैं। पपू का सही व शुद्ध नाम सूराराम होने से उपरोक्त खसरा नम्बर 78 रकबा 0-05 बीघा, खसरा नम्बर 280 रकबा 3-06 बीघा, खसरा नम्बर 282 रकबा 3-10 बीघा, खसरा नम्बर 283 रकबा 2-00 बीघा, खसरा नम्बर 284 रकबा 17-00 बीघा, कुल खसरा 5 कुल रकबा 26-01 बीघा में पपू पुत्र रतनाराम के स्थान पर सूराराम पुत्र रतनाराम दर्ज किया जाना उचित हैं। फर्द मौका रिपोर्ट सा0मि0 हो। वाद के समर्थन में वादी सूराराम के बयान कलमबद्ध किये गये। अपने बयानों में भी पपू के स्थान पर सूराराम दुरूस्त किये जाने की ईश्तदुआ की।

वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस में जाहिर किया कि पपू व सूराराम एक ही व्यक्ति हैं। बचपन में पपू कहने से रेकर्ड में पपू दर्ज हो गया, जिसे दुरूस्त कर सूराराम दर्ज किये जाने की घोषणा फरमावें।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात एवं फर्द मौका रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। मजमा-ए-आम में भी उक्त संबंध में जानकारी ली गई। तथापि पपू व सूराराम एक ही व्यक्ति होना जाहिर किया। वस्तुतः वाद-पत्र के साक्ष्य सबूत में राशन कार्ड संख्या 009043300561, आधार कार्ड सं0 246345614325, ड्राईविंग लाईसेन्स RJ22-20150011476, भामाशाह कार्ड संख्या

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

VSCJGVP, स्कूल टी.सी. संख्या 271 की फोटो छाया प्रतियाँ पेश की, जिससे वादी का सही नाम सूराराम पुत्र रतनाराम ही हैं। राजस्व अभिलेख में गलत रूप से पपू दर्ज नाम के स्थान पर सूराराम पुत्र रतनाराम दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–धनेरिया, पटवार हल्का–केकिन्दड़ा, तहसील–जैतारण में वादी व अन्य खातेदारों की शामलाति खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 78 रकबा 0–05 बीघा, खसरा नम्बर 280 रकबा 3–06 बीघा, खसरा नम्बर 282 रकबा 3–10 बीघा, खसरा नम्बर 283 रकबा 2–00 बीघा, खसरा नम्बर 284 रकबा 17–00 बीघा, कुल खसरा 5 कुल रकबा 26–01 बीघा भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के गलत दर्ज नाम पपू के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम सूराराम पुत्र रतनाराम दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 21/05/2018 को लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र–केकिन्दड़ा सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner